मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498
ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

सहायक प्रोग्रामर, आई.टी. ऑपरेटर, डाटाएन्ट्री ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा – 2013

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम–पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि		19.01.2013
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि		18.02.2013
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि		19.02.2013
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि		28.02.2013
परीक्षा दिनांक व दिन		07.04.2013 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	सीधी भर्ती एवं संविदा भर्ती के पदों हेतु	अनारक्षित / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए – 500 / – अनु0 जाति / अनु0 जनजाति के लिए – 250 / –
	सिर्फ सीधी भर्ती–बैकलॉग के पदों हेतु	कोई शुल्क नहीं।
ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 50 / – देय होगा।		
मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु		कोई शुल्क नहीं।

समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉ भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
07.04.2013 (रविवार)	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से दोप. 12:15 बजे तक (02 घंटे)

टिप्पणी :–

1. मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये हॉर्डकॉपी में आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप (नियम पुस्तिका के प्रारूप–3)में म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, चयन भवन, चिनार पार्क (ईस्ट), मेन रोड़ नं.–1, भोपाल–462011 को प्रेषित करना होगा।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
3. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
4. परीक्षा कक्ष में सेल्युलर, मोबाईल फोन, केल्कूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
5. ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जवाबदारी / जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

सहायक प्रोग्रामर, आई.टी. ऑपरेटर, डाटाएन्ट्री ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा – 2013

विषय–सूची

स.क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	अध्याय–1– विभागों से प्राप्त प्रस्ताव पत्र एवं शासनादेश का विवरण तथा विभागवार रिक्त पदों की संख्या व आरक्षण तालिका की जानकारी	4–8
2.	अध्याय–2– विभागीय चयन नियम	9–18
3.	अध्याय–3– मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	19–24
4.	प्रारूप–1 – प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन	25
5.	प्रारूप–2 – आद ा उत्तरो पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन	26
6.	प्रारूप–3–मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसेः–बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप	27–28

विभागवार रिक्त पदों का विवरण

भर्ती का प्रकार	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त है	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या				
		अना	अजा	अजजा	अपिव	कुल
सहायक प्रोग्रामर पद हेतु विभागवार रिक्त पदों का विवरण						
सीधी भर्ती	1. महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल	03	01	01	01	06
	2. आबकारी विभाग, ग्वालियर	02	00	01	00	03
	कुलः—	05	01	02	01	09
आई.टी. ऑपरेटर पद हेतु विभागवार रिक्त पदों का विवरण						
सीधी भर्ती	1. महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल	02	00	00	00	02
	2. आबकारी विभाग, ग्वालियर	48	15	21	14	98
	3. वाणिज्यिक कर आयुक्त, इन्दौर	27	09	13	07	56
	कुलः—	77	24	34	21	156
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद हेतु विभागवार रिक्त पदों का विवरण						
सीधी भर्ती	1. म.प्र. शासन विधि और विधायी विभाग, भोपाल	00	01	01	01	03
	2. म.प्र. वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड, भोपाल	00	00	01	00	01
	3. संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवा, भोपाल	04	01	01	01	07
	कुलः—	04	02	03	02	11
संविदा भर्ती	1. म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल	110	39	91	25	265
	कुलः—	110	39	91	25	265
कम्प्यूटर ऑपरेटर पद हेतु विभागवार रिक्त पदों का विवरण						
सीधी भर्ती—बैकलॉग	1. संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण, भोपाल	00	00	01	00	01
	कुलः—	00	00	01	00	01

कुल पदों की संक्षेपिका

स.क्रं.	पदों का विवरण	अना	अजा	अजजा	अपिव	योग
01	सहायक प्रोग्रामर पद के सीधी भर्ती के पद	05	01	02	01	09
02	आई.टी. ऑपरेटर पद के सीधी भर्ती के पद	77	24	34	21	156
03	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद के सीधी भर्ती एवं संविदा भर्ती के पद	114	41	94	27	276
04	कम्प्यूटर ऑपरेटर पद के सीधी भर्ती—बैकलॉग के पद	00	00	01	00	01
	महायोग :—	196	66	131	49	442

अध्याय–1

विभागों से प्राप्त प्रस्ताव पत्र एवं शासनादेश का विवरण तथा विभागवार रिक्त पदों की संख्या व आरक्षण तालिका की जानकारी

1.1 चयन संबंधी सामान्य अनुदे I :–

इस संयुक्त परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे सभी आवेदकों पर नियमपुस्तिका में दिए गए सभी नियम, भार्तें व जानकारी लागू होंगे तथा सभी आवेदकों को इनका सूक्ष्म अध्ययन कर पालन करना होगा। संयुक्त परीक्षा में सम्मिलित विभागों/ कार्यालयों, उनके अंतर्गत रिक्त श्रेणीवार/संवर्गवार पदों की जानकारी नीचे उल्लेखित है। विभिन्न विभागों/कार्यालयों के रिक्त पदों को घटाने, बढ़ाने अथवा परिवर्तन करने का अधिकार संबंधित विभाग/कार्यालयों को होगा तथा किया गया परिवर्तन आवेदकों को मान्य होगा।

1.2 कार्यालय/विभागवार पदों से संबंधित विवरण :–

(1) – कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल

सामान्य :

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल का पत्र क्रमांक/332/स्था.सेवा/2012 दिनांक 14.08.2012 के अनुसार कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल के अंतर्गत रिक्त सहायक प्रोग्रामर एवं आई.टी. ऑपरेटर के सीधी भर्ती के कुल 08 पदों की जानकारी निम्नानुसार हैः–

सीधी भर्ती के (सहायक प्रोग्रामर) पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स.क्र.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	03
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	01
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	01
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	01
	योग :–	05	01	06

सीधी भर्ती के (आई.टी. ऑपरेटर) पदों हेतु आरक्षण तालिका :

स.क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	02
	योगः–	01	01	02

(2) आबकारी विभाग, ग्वालियर

सामान्य :

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदे ा, ग्वालियर के पत्र क्रमांक 1(स)स्था./01/10/आई.टी.आई./2012/1183 दिनांक 24.04.2012 एवं क्रमांक 1(अ.रा.)स्था./2012/2330 दिनांक 08.08.2012 एवं पत्र क्रमांक 1 (स) स्था/आई.टी.ओ.01–10/2012/2713, दिनांक 10/09/2012 के अनुसार कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदे ा, ग्वालियर के अन्तर्गत रिक्त सहायक प्रोग्रामर के कुल 03 पदों एवं आई.टी. ऑपरेटर के सीधी भर्ती के कुल 98 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

सीधी भर्ती के (सहायक प्रोग्रामर) पदों हेतु आरक्षण तालिका

स.क्र.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	02	00	02
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	01
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00
	योग :–	03	00	03

सीधी भर्ती के (आई.टी. ऑपरेटर) पदों हेतु आरक्षण तालिका

स.क्र.	श्रेणी	निल		अस्थि बाधित विकलांग		भू.पू.सै.		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	28	13	02	01	03	01	48
2.	अनुसूचित जाति (SC)	10	03	01	00	01	00	15
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	12	05	01	01	02	00	21
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	08	04	01	00	01	00	14
	योग :–	58	25	05	02	07	01	98

(3) – वाणिज्यिक कर आयुक्त, इन्दौर

सामान्य :

कार्यालय आयुक्त वाणिज्यक कर, मध्यप्रदे ा, इन्दौर के पत्र क्रमांक 52/ 2011/5–अ /नौ/481 दिनांक 17.08.2011 एवं पत्र क्रमांक 52/2011/5–अ/नौ/176 दिनांक 09.03.2012 के अनुसार कार्यालय आयुक्त वाणिज्यक कर, मध्यप्रदे ा, इन्दौर के अन्तर्गत रिक्त आई.टी. ऑपरेटर के सीधी भर्ती के कुल 56 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

सीधी भर्ती के (आई.टी. ऑपरेटर) पदों हेतु आरक्षण तालिका

स.क्र.	श्रेणी	निल		विकलांग		भू.पू.सै.		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	09	08	00	00	10	00	27
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	03	00	00	04	00	09
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	04	04	01 (अस्थि बाधित हेतु)	00	04	00	13
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	02	00	00	02	00	07
	योग :–	18	17	01	00	20	00	56

(4) – म.प्र. भाासन विधि और विधायी विभाग, भोपाल

सामान्य :

मध्यप्रदे ा भाासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 5008 / 21 / अ–(स्था.) दिनांक 11.07.2012 के अनुसार मध्यप्रदे ा भाासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल अन्तर्गत रिक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के सीधी भर्ती के कुल 03 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

सीधी भर्ती के (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) पदों हेतु आरक्षण तालिका

स.क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	01
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	01
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	01
	योगः–	03	00	03

(5) – म.प्र. वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड, भोपाल

सामान्य :

म.प्र. वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड, भोपाल के पत्र क्रमांक वाकअबो / स्था. / 360 / 11 / 1175 दिनांक 22.05.2012 के अनुसार मध्यप्रदे ा भाासन वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड, भोपाल अन्तर्गत रिक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के सीधी भर्ती के कुल 01 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

सीधी भर्ती के (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) पदों हेतु आरक्षण तालिका

स.क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	01
	योगः–	01	00	01

(6) – संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा, भोपाल

सामान्य :

संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा, भोपाल के पत्र क्रमांक / एबाविसे / स्था. / मुख्या. / 2012 / 13411 दिनांक 10.05.2012 के अनुसार संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा, भोपाल अन्तर्गत रिक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के सीधी भर्ती के कुल 07 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

सीधी भर्ती के (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) पदों हेतु आरक्षण तालिका

स.क्र.	श्रेणी	निल		विकलांग		भू.पू.सै.		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	00	00	00	00	04
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	00	00	01
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	00	00	01
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	00	00	01
	योग :–	06	01	00	00	00	00	07

(7) – म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिशद, भोपाल

सामान्य :

मध्यप्रदे ा भाासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 2234 / 22 / वि–2 / स्था. / 12 दिनांक 22.02.2012 के अनुसार म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परि ाद, भोपाल के अन्तर्गत रिक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के संविदा के कुल 265 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

संविदा के (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) पदों हेतु आरक्षण तालिका

स.क्र.	श्रेणी	निल		विकलांग		भू.पू.सै.		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित (UR)	58	37	01(अस्थि बाधित हेतु)	00	14	00	110
2.	अनुसूचित जाति (SC)	29	10	00	00	00	00	39
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	54	29	01(अस्थि बाधित हेतु)	00	07	00	91
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	18	07	00	00	00	00	25
	योग :–	159	83	02	00	21	00	265

नोट – जिलेवार रिक्त पदों की जानकारी विभाग की वेबसाईट www.nregs-mp.org पर देखी जा सकती है।

(8) – संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण, भोपाल

सामान्य :

संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण, भोपाल के पत्र क्रमांक / 857 / खे.यु.क. / स्था. / 2012 दिनांक 23.05.2012 के अनुसार संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण, भोपाल अन्तर्गत रिक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर के सीधी भर्ती–बैकलॉग के कुल 01 पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

सीधी भर्ती–बैकलॉग के (कम्प्यूटर ऑपरेटर) पदों हेतु आरक्षण तालिका

स.क्रं.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	01
	योगः–	01	00	01

1-3 म0प्र0 ाासन, सामान्य प्र ाासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.1.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्र0796 / 982 / 2012 / आ0प्र0 / एक दिनांक 26.12.12 के पालन स्वरूप म0प्र0 के वि ोश आदिम जनजाति समुदायो जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया के ऐसे अभ्यर्थी जो नियम पुस्तिका की कंडिका 2.2 में अंकित पदवार निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते हैं, वे अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप (नियम पुस्तिका के प्रारूप–3) में आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आव यक प्रमाण पत्रो को संलग्न करते हुए सीधे नियुक्ति संबंधी आगामी कार्यवाही हेतु मण्डल कार्यालय को प्रेशित करेगे। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के प चात उक्त जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियो की ओर से मण्डल को प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो को अभ्यर्थियो द्वारा दिए गए विभागो के विकल्प अनुसार मण्डल द्वारा तत्काल संबंधित विभागो की ओर आवेदन पत्रो के परीक्षण तथा मूल प्रमाण पत्रो के परीक्षणोपरांत सीधे नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु प्रेशित किए जाएगे। परीक्षा की तिथि के पूर्व संबंधित 08 विभागों द्वारा उक्त आवेदनों का परीक्षण / नियुक्ति संबंधी कार्यवाही कर अनुसूचित जनजाति संवर्ग के सं ाोधित पदो की संख्या से मण्डल को अवगत कराया जाएगा जिसके संबंध में मण्डल द्वारा एक संक्षिप्त सं ाोधन विज्ञापन भी जारी किया जाएगा यदि पदो की संख्या में कोई परिवर्तन होता है। तदोपरान्त विभागों से प्राप्त अनुसूचित जनजाति के सं ाोधित पदो तथा अन्य श्रेणियो के पदो के लिए मण्डल द्वारा परीक्षा आयोजन से संबंधित आगामी कार्यवाही सुनि चत की जाएगी। इस संबंध में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के उपरान्त

वि ोश आदिम जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियो की ओर से प्राप्त आवेदनो के परीक्षण/नियुक्ति संबंधी विभागीय कार्यवाही के उपरांत नियम पुस्तिका की कंडिका 1.2 में उल्लेखित विभागवार अनुसूचित जनजाति के पदो की संख्या परिवर्तनीय होगी जो अन्य अनुसूचित जनजातियो के अभ्यर्थियो के लिए बंधनकारी होगी। बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियो की नियुक्ति उपरांत भोश रिक्तियों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियो के लिए म0प्र0 भाासन के आरक्षण नियमानुसार परीक्षा परिणाम मण्डल द्वारा घोशित किया जाएगा।

——————0—————

अध्याय – 2
विभागीय नियम

सहायक प्रोग्रामर, आई.टी. ऑपरेटर, डाटाएन्ट्री ऑपरेटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा – 2013 के विभागीय नियम

2.1 परिभाषाऍ :–

''आरक्षण'' से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति,मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमे का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनूसूचित जातियों के रुप में विनिर्दिष्टि किया गया है।

''अनुसूचित जन जाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे सविधांन के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक –एफ–8–5 पच्चीस–4–84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में ।

''भर्ती का वर्ष'' से अभिप्रेत है किसी वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि ,जिसके भीतर ऐसी रिक्त के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है।

''भूतपूर्व सैनिको से अभिप्रेत है'' ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के सयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक'' (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) मे कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की और–

(1) जिसे स्वंय के निवेदन पर या अक्षमता के कारण पदच्युत, सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया है,या ऐसी नियुक्त के लंबित रहने तक रिजर्व में अंतरित किया गया है,या

(2) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अन्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः माह से अनधिक अवघि के लिये करनी पडी हो,

(3) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की पूर्ण करने के पश्चात स्वंय के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो ।

''मंडल'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल।

''विभाग'' से अभिप्रेत है वह कार्यालय/विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। विभागों व रिक्त पदों का विवरण नियमपुस्तिका के अध्याय–1 में दिया गया है।

2.2 पदनाम, वेतनबैंड + ग्रेडपे तथा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :–

स.क्र.	विभाग का नाम	पदनाम	वेतनबैंड + ग्रेडपे	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
01	आबकारी विभाग, म.प्र. ग्वालियर दूरभाशः–0751–2452810	आई.टी. ऑपरेटर	5200–20200+1900	हायर सेकण्डरी परीक्षा (10+2 पद्वति से) उत्तीर्ण होने के साथ आई.टी.आई. से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर ओपरेटर तथा प्रोग्रामिंग सहायक में प्रमाण–पत्र। या हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2 पद्वति) या हायर सेकेण्डरी (पुरानी पद्वति) परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ कम्प्यूटर साइंस, सूचना प्रोद्यागिकी या इलैक्ट्रानिक्स तथा टेलिकम्यूनिकेशंस में, पालिटैक्निक महाविद्यालय

				से ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा। या हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण–पत्र (10+2 पद्वति से) उत्तीर्ण या हायर सेकेण्डरी परीक्षा (पुरानी पद्वती से) उत्तीर्ण होने के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा। या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से बी.सी.ए. या पी.जी.डी.सी.ए.
		सहायक प्रोग्रामर	9300–34800+3600	बीसीए या कम्प्यूटर प्रोग्रोमिंग में कम से कम 01 वर्ष का अनुभव सहित सूचना प्रोद्योगिकीय/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर साइंस में 03 वर्षीय डिप्लोमा
02	महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल दूरभाशः–0755–2441953	सहायक प्रोग्रामर	9300–34800+3600	1. बी.सी.ए. अथवा सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में तीन वर्षीय डिप्लोमा एवम् कम्प्यूटर एप्लीकेशन में तीन वर्षीय डिप्लोमा एवम् कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का कम से कम एक वर्ष का अनुभव
		आई.टी. ऑपरेटर	5200–20200+2400	(क) हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकट परीक्षा (10+2 पद्वति) उत्तीर्ण होने के साथ आई.टी.आई. से राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से मान्य कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा) ट्रेड का प्रमाण–पत्र। अथवा (ख) हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2 पद्वति) या हायक सेकेण्डरी परीक्षा (पुरानी पद्वति) उत्तीर्ण होने के साथ पोलीटेक्निक महाविद्यालय से कम्प्यूटर साईन्स, इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक एण्ध टेलीकम्युनिकेशन मे ए.आय.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अथवा (ग) हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2 पद्वति) या हायर सेकेण्डरी परीक्षा (पुरानी पद्वति) उत्तीर्ण होने के साथ यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा। अथवा (घ) यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईन्स, इन्फॉरमेशन में बी.ई., बी.टेक. अथवा (ड़) यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन या पी.जी.डी.सी.ए.
				हायर सकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) प्रणाली से या हायर सकेण्डरी परीक्षा (पुरानी प्रणाली)

03	वाणिज्यक कर आयुक्त, इन्दौर दूरभाषः—0731—2537140	आई.टी. ऑपरेटर	5200—20200+1900	से उत्तीर्ण होने के साथ एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर साईस तथा इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में 03 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अथवा हायर सकेन्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) प्रणाली से या हायर सकेण्डरी परीक्षा (पुरानी प्रणाली) से उत्तीर्ण होने के साथ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में 01 वर्षीय डिप्लोमा तथा राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार संगठन में नेटवर्किंग तथा इंटीग्रेटेड कम्प्यूटर सिस्टम में कार्य करने का 03 वर्ष का अनुभव
04	म.प्र. शासन विधि और विधायी विभाग, भोपाल दूरभाषः—0755—2441097	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	5200—20200+2400	एम.सी.ए. / पी.जी.डी.सी.ए. में उपाधि (मान्यता प्राप्त वि.वि.) से तथा कम्प्यूटर पर कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव
05	म.प्र. वाणिज्यक कर अपील बोर्ड, भोपाल दूरभाषः—0755—2766977	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	5200—20200+2400	1. हायर सेकण्डरी परीक्षा (पुराना पेटर्न) से या हायर सेकण्डी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) पेटर्न से उत्तीर्ण हो 2. डी.सी.ए. का डिप्लोमा उत्तीर्ण हो
06	संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवा, भोपाल दूरभाषः—0755—2550909	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	5200—20200+2400	1. UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा अथवा 2. UGC से मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर डिप्लोमा अथवा 3. DOEACC से कम्प्यूटर डिप्लोमा स्तर की परीक्षा अथवा 4. शासकीय पॉलीटेक्निक से मार्डन ऑफिस मैनेजमेण्ट कोर्स अनुभवः— 1. एक वर्ष का डाटाएन्ट्री का अनुभव किसी मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय संस्थन से
07	म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल दूरभाषः—0755—2551487	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर (संविदा)	समेकित पारिश्रमिक राशि रू. 9000/—प्रतिमाह	किसी भी विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको सहित स्नातक एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पॉलीटेक्निक डिप्लोमा डी.सी.ए./ पी.जी.डी.सी.ए./डी.ओ.ई.ए.सी.सी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। म.प्र. शासन के हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा में हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण।
08	संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण, भोपाल दूरभाषः—0755—2773012	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5200—20200+2400	1. स्नातक 2. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की होंः— (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर

				परीक्षा उत्तीर्ण (2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण (3) किसी डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण (4) किसी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से ''मार्डन आफिस मैनेजमेन्ट'' पाठ्यक्रम उत्तीर्ण

नोटः– आवेदक के पास न्यूनतम अर्हतायें एवं अनुभव आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। इसके बाद किसी भी दिनांक को अर्हतायें एवं अनुभव अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिए विचारित होने की पात्रता नही रखेंगें।

2.4 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :–

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :–

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या
(ख) आवेदक को सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या
(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या
(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

टिप्पणी :–

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण–पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बन जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण–पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।
   (i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।
   (ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।
   (iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।
2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

(II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

2.5 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :–

अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2014 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। सामान्य प्र ाासन विभाग, मध्यप्रदे ा शासन के पत्र क्रं.सी–3–11/12/1/3, दि. 03.11.2012 एवं पत्र क्र. सी–3–11/2012/3/एक दिनांक 20.11.2012 एवं परिपत्र क्रमांक 1930/2547/2012/1/3 दिनांक

26.11.2012 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयुसीमा की गणना निम्नानुसार है :–

स.क्रं.	आवेदक एवं श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2.	पुरूष आवेदक (शासकीय / निगम / मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3.	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग– अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4.	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग–शासकीय / निगम / मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6.	महिला आवेदक (शासकीय / निगम / मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)(विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा)	45 वर्ष
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग– अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
8.	म.प्र. के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	43 वर्श
9.	म.प्र. के भूतपूर्व सैनिक आवेदक(आरक्षित वर्ग– अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्श
10.	म.प्र. के विकलांग आवेदक (समस्त वर्ग)	45 वर्श

2.5.1 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :–

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी–3–40–आ–84–(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ख) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–10–85–3–1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ग) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–18–85–3–1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

2.5.2 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :–

(क) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, ब र्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

(ख) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, ब र्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :– शब्द ''छटनी'' किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था ।

(ग) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, ब र्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :– ाब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारि ों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति–रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
   (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
   (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवका ा रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों ।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345–4005–सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर

अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

टीप– (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग–पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु–सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

2.6 चयन का आधार :–

उक्त पद पर चयन हेतु मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा केवल लिखित परीक्षा ली जावेगी। इन पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार/प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का (कुल 100 अंक) व दो घंटे की समयावधि का एक प्रश्न–पत्र सिर्फ हिन्दी/अंग्रजी माध्यम में होगा। प्रश्न–पत्र का पाठ्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :–

सहायक प्रोग्रामर, आई.टी. ऑपरेटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटाएन्ट्री ऑपरेटर, पद हेतुः–

प्रारंभिक गणित– गुणा, भाग, दशमलव अंक, भिन्न (फ्रेक्शन), प्रतिशत, मूलधन, ब्याज, लाभ–हानि, क्षेत्रफल, आयतन आदि के सम्मिलित प्रश्न।	25 प्रश्न 25 अंक
Information Technology portion: File Management, LINUX Commands, Editors, Files & Directories, UNIX tools. Interned and world wide web: Introduction to internet, internet browsers, Netscape & Explorer. Computer Programming Basics, Fundamental Data Types and Storage Classes: Introduction to C, Character types, integer, short, long, unsigned, single and double precision floating point, register , Operators and Expressions (Using numeric and relational operators, mixed operands and type conversion, Logical operators, Bit operations). Data Structures: Elementary data Organization, Data Structure Operations. Algorithms Complexity, Time-Space trade off, Arrays Stacks and Queues, Linked Lists, Trees (Binary Trees, Extended binary tress, Traversing binary trees, Insertion and Deletion in binary search tree) Graphs, Sorting, File Structure. Database Management System Introduction: Data base system concepts and architecture Data models scheme, Data base language and interface, Data definition languages, DML. Overall data base structure. Data modeling using Entity Relationship Model: E.R Model concept, notation for ER diagrams mapping constraints, Keys, Concept of super key, candidate key, primary key generalizations, Reducing ER diagrams to tables, extended ER model. Relational Data Model and Language: Relational data model concepts, integrity constraints, key domain constraints, referential integrity, assertions /triggers, foreign key relational algedra, relational calculus, domain and tuple calculus.	75 प्रश्न 75 अंक

Example DBMS System (Oracle gi): Basic architecture data definition and data manipulation, ISQL, PL SQL, cursors, triggers, stored procedure etc. Concurrency Control Techniques: Locking Techniques for concurrency control, time stamping protocols for concurrency control, concurrency control in distributed system. Estimation of cost and optimization of tuple transfer for join in distributed system. Estimation of cost and optimization of tuple transfer for join in distributed styles, validation technique, multiple granularity, multiversion schemes. OPERATRING SYSTEM Introduction: Operating system and function. Evolution of operating system, Batch, Interactive, Time Sharing and Real Time System, System protection, MIS WINDOWS xxxx commands, editing and saving files, word processing. Operating System Structure: System Components, System structure, Operating System Services. Concurrent Processes: Process concept, Principle of Concurrency, Producer Consumer Problem, critical Section problem, Semaphores, Classical problems in Concurr4ency, Inter Communication, Process Generation, Process Scheduling. File System: File Concept, File Organization and Access Mechanism, File Directories, File Sharing, Implementation issues, Programming Language: Core JAVA, MS Office Suite.	
कुल अंकः–	100 प्रश्न 100 अंक

2.7 प्रावीण्य / प्रतीक्षा सूची :–

मण्डल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में दिए गए विभागों के प्राथमिकताक्रम में विकल्प के आधार पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार / संवर्गवार पदों की संख्या के अनुसार मण्डल द्वारा प्रावीण्य व प्रतीक्षा सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

2.8 पारस्परिक वरीयता :

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य / प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी, परन्तु दो व्यक्तियों के प्राप्तांक समान होने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

2.9 सत्यापन / परीक्षण के समय आवश्यक प्रमाण–पत्रों का विवरण :–

2.9.1 स्थाई निवासी प्रमाण–पत्र :–

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में नायब तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र धारक होना चाहिए।

2.9.2 जाति प्रमाण–पत्र :–

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पास अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।

2.9.3 विकलांग प्रमाण–पत्र :–

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी विकलांग संवर्ग के उम्मीदवार के पास शासन के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।

2.9.4 भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण–पत्र :–

भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के उम्मीदवार के पास शासन के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।

2.10 दस्तावेजों / प्रमाण–पत्रों का परीक्षण व चरित्र सत्यापन :

लिखित परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा जारी प्रावीण्य / प्रतीक्षा सूची के आधार पर संबंधित विभागों द्वारा चयन / नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व समस्त मूल दस्तावेजों / प्रमाण–पत्रों आदि का सत्यापन / परीक्षण संबंधित विभागों द्वारा किया जायेगा।

विभागों द्वारा चाहे गए समस्त प्रपत्र / दस्तावेज / प्रमाण–पत्र मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप अनुसार अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति / सत्यापन / परीक्षण के समय संबंधित विभागों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र / दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है।

2.11 अभ्यर्थिता / चयन के संबंध में निर्हर्ताऍं / जानकारी :–

(क) पररूपधारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जायेंगे।

(ख) पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

(ग) ऐसा पुरूष उम्मीदवार जिसने 21 वर्ष की आयु के पूर्व तथा ऐसी महिला उम्मीदवार जिसने 18 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, लिखित परीक्षा के लिए अनर्ह माना जायेगा।

(घ) जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

(ड.) कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।

(च) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा / चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

(छ) शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य न पाया जाये।

(ज) फर्जी दस्तावेज / दस्तावेज फेरबदल किया हो / चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो / सारभूत जानकारी छुपाई हो।

2.12 नियुक्ति की शर्तें :

चयनित अभ्यर्थियों पर संबंधित विभाग के विभागीय नियम व नियुक्ति की शर्तें लागू होगी, जिनका उन्हें पालन करना होगा। नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा तथा नियुक्ति के समय विभागों के नियमानुसार अनुबंध–पत्र का निष्पादन किया जावेगा।

2.13 यात्रा भत्ता का भुगतान :–

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ–6–1 / 2002 / आ.प्र. / एक, दिनांक 19.09.2002 के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने पर 08 संबंधित विभागों की रिक्तियों के मान से आवेदकों की संख्या के अनुपात में संबंधित विभागों द्वारा यात्रा भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

2.14 न्याय क्षेत्र / अधिकार :–

इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेह संबंधित विभाग होगा तथा इसका न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तक सीमित होगा।

—————0—————

अध्याय–3

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम

महत्वपूर्णः–

3.1 इस परीक्षा हेतु मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों से केवल ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जायेंगे, जिसमें चाही गई समस्त जानकारियों के साथ आवेदित पद का विकल्प व प्राथमिकताक्रम दर्शाना होगा। ऑनलाईन आवेदन–पत्र में दी गई जानकारी व विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जायेगी। आवेदक को विभिन्न श्रेणी के एवं विभिन्न विभागों के पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3.2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी दी गई है अथवा किसी जानकारी को छुपाया गया है तो ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवे ा/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

3.3 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है, किन्तु नियुक्ति के पूर्व समस्त प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/असत्य जानकारी पाई जाने पर नियुक्ति के किसी भी चरण में अथवा नियुक्ति के पश्चात भी ऐसी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

3.4 आवेदक द्वारा एक बार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरांत यदि वह दूसरी बार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरता है तो उसके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि व फोटो एक समान होने पर आवेदक द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन पत्र का क्रमांक प्रदर्शित होगा, और यह जानकारी ली जायेगी कि क्या आवेदक पूर्व में भरे गए आवेदन को निरस्त करना चाहता हैं ? यदि आवेदक निरस्त करने में सहमत नहीं है, तो उसके द्वारा भरा जा रहा द्वितीय आवेदन नही भरा जा सकेगा तथा पहले भरा हुआ आवेदन ही मान्य होगा। दूसरी तरफ सहमत होने पर पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त कर वर्तमान आवेदन को मान्य करते हुए स्वीकार किया जाएगा। इस स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन के साथ आवेदक द्वारा भुगतान शुल्क राजसात किया जावेगा।

3.5 स्क्रूटनी/ऑनलाईन आवेदन–पत्र का निरस्तीकरण :–

आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर की स्क्रूटनी की जायेगी। जिन आवेदको द्वारा नियम पुस्तिका में उल्लेखित फोटो एंव हस्ताक्षर के निर्धारित मापदंड के अनुरूप फोटो/हस्ताक्षर उपलब्ध नही करवाये जाते है, फोटो अनुपलब्ध है, हस्ताक्षर अनुपलब्ध है, ऐसे प्रकरणों को स्क्रूटनी उपरांत निरस्त किया जायेगा तथा ऐसे आवेदकों को टेस्ट एडमिट कार्ड जारी नही किये जायेगे। आवेदन पत्र निरस्त की सूचना मण्डल की बेवसाईट पर उपलब्ध होगी। एक बार आवेदन पत्र निरस्त होने के उपरांत किसी भी स्थिति में मान्य नही किया जावेगा।

3.6 आवदेन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर से संबंधित निर्देशः–

(i) आवदेन पत्र के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. का होना चाहिये, जिसकी गुणवत्ता अच्छी एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iii) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला फोटोग्राफ परीक्षा की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।

(iv) काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा।

(v) जो फोटोग्राफ ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा, वही फोटोग्राफ काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाना होगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ आवेदक को अपने पास सुरक्षित रखना होगा।

(vi) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे किये जाने चाहिए।

(vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लघु हस्ताक्षर नही किये जाने चाहिए।

(viii) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय किये जाने होगें, इसका विशेष ध्यान रखा जाना होगा।

(ix) अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर नही किये जाने चाहिए।

(x) ऑनलाईन आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नही होना चाहिए।

(xi) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर स्केनिंग उपरांत पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए।

3.7 ऑनलाईन आवेदन पत्र की जानकारी में संशोधनः—

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः—

3.7.1 ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की अंतिम तिथि के अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन—पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

3.7.2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रू.100/—एवं पोर्टल शुल्क रू. 50/— का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/निःशक्तजन के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/निःशक्तजन श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

3.7.3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को अन्य प्रविष्टियों सहित फोटो, हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा एप्लीकेशन फार्म नंबर, ट्रांजेशन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। एप्लीकेशन फार्म नंबर, ट्रांजेशन आई.डी. नंबर, व्यापम फार्म नंबर, मोबाईल नंबर एवं ई—मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

3.7.4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा, क्योंकि परिणाम घोषित होने के पश्चात् मण्डल functus officio बन जाता है।

3.8 परीक्षा प्रवेश–पत्र (Test Admit card) :-

मण्डल कार्यालय में नियमानुसार मान्य आवेदन–पत्र के अभ्यार्थियों को प्रवे ा–पत्र (Test Admit card-TAC) जारी किए जायेंगे। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा प्रवे ा–पत्र प्रेषित नहीं किए जायेंगे। समस्त प्रवे ा–पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर दिए जायेंगे तथा अभ्यार्थी अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवे ा–पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके आधार पर अभ्यार्थी सीधे परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें। डाउनलोड किए हुए प्रवे ा–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

3.9 परीक्षा शहर व परीक्षा शुल्क :–

लिखित परीक्षा भोपाल, जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर शहरों में आयोजित की जायेगी। आवेदन पत्रों की सीमित संख्या को दृष्टिगत् रखते हुये मण्डल इसे सिर्फ भोपाल शहर में सीमित करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। इस परीक्षा में अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500/–रू. तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन के लिए 250/–रू. परीक्षा शुल्क निर्धारित है। सीधी भर्ती–बैकलॉग के पदों हेतु कोई परीक्षा शुल्क देय नही है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया के अभ्यर्थियों के लिये कोई परीक्षा शुल्क देय नही है।

3.10 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आव यक सामग्री :–

प्रवेश–पत्र, काला बॉलपाईन्ट पेन।

3.11 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

3.12 परीक्षा के प्रश्न–पत्र :–

लिखित परीक्षा में नियम–पुस्तिका के अध्याय–2 के बिन्दु क्रं. 2.6 ''चयन का आधार'' में दिए गए विवरण अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के प्रश्न–पत्र होंगे।

3.13 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :– निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

(क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
(ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
(ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
(घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
(ड.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
(च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।
(छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
(ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
(झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
(ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
(ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुॅचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यार्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यार्थी, पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जाएगा ।

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यार्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यार्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

3.14 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

3.15 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :–

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :–

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4. कोई भी विकल्प सही न हो।
5. यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।

   प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

   उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यार्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200-2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

   नोट :– सभी गणना दशमलव के दो अंकों तक राउंडऑफ की जाएगी।

3.16 प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों / उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन :–

प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों / उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप –1 (प्रश्न पुस्तिका के प्रश्नों / उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

3.17 मॉडल आंसर्स / फायनल आंसर्स :–

(1) मॉडल आंसर्स :– परीक्षा के सफल आयोजन के 01 दिन उपरांत प्र न पत्र में पूछे गये प्र नों के उत्तर मॉडल उत्तर (Model Answers) के रूप में मंडल की वेबसाईट पर प्रदि त किया जायेगा। मॉडल आंसर में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण उत्तरों के संबंध में परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां निर्धारित प्रारूप–2 (मॉडल उत्तर के संबंध में अभ्यावेदन) में आव यक अभिलेख सहित परीक्षा उपरांत मॉडल आंसर्स मंडल की वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर मंडल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी।

(2) फायनल आंसर्स :– प्रारूप 01 में प्रश्न पुस्तिका के त्रुटिपूर्ण प्रश्नों / उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों तथा प्रारूप 02 में मंडल द्वारा प्रदर्शित माडल उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को ''की'' समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। ''की'' समिति द्वारा सभी अभ्यावेदनों सें संबंधित प्रश्नों / उत्तरो के पूर्ण परीक्षण उपरांत निराकृत करने के पश्चात् फायनल आंसर्स (Final Answers) तैयार किये जायेगे, इस प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक 3.15 अनुसार ''की'' समिति द्वारा प्रश्नों को निरस्त भी किया जा सकेगा। समिति द्वारा उन प्रश्नों / उत्तरो के संबंध में कोई विचार नही किया जायेगा जिन पर अभ्यावेदन प्राप्त नही हुए है। इस प्रकार तैयार फायनल आंसर्स (Final Answers) के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये फायनल आंसर्स (Final Answers) परिणाम उपरांत मण्डल की बेवसाईट पर उपलब्ध रहेगे। ''की'' समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा सभी आवेदकों के लिये बंधनकारी होगा।

3.18 परीक्षा परिणाम :–

अध्याय–1, 2 व 3 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यार्थियों की प्रावीण्य एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगा।

3.19 अंक सूची की उपलब्धता :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यार्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगी। अभ्यार्थी अपने रोल नंबर के आधार पर उल्लेखित वेबसाईट से अंकसूची प्राप्त / मुद्रित कर सकते हैं। मण्डल द्वारा डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा तथा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है।

3.20 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :–

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–8–2 / 05 / आ.प्र. / एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजनों को सुविधाएँ प्रदान की जाएगी :–

(अ) सुविधाएं प्राप्त करने हेतु प्रात्र अभ्यार्थी :–

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।

2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।

3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हों, इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।

4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :–

उपरोक्त से संबंधित अभ्यार्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यार्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :–

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :–

1. लेखन लिपिक एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसकी शैक्षणिक योग्यता परीक्षार्थी से कम हो।

2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ–पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

(द) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :–

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।

2. लेखन लिपिक की सेवाएं उपलब्ध कराने पर उन्हें यथासंभव एक अलग कक्ष की व्यवस्था भूतल पर की जावेगी।

3.21 मण्डल का क्षेत्राधिकार :–

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा। परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

3.22 अभिलेखों का संधारण :–

मण्डल द्वारा परीक्षा आयोजन उपरांत अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह तक परीक्षा से संबंधित अभिलेखों का संधारण किया जायेगा। इसके पश्चात् परीक्षा से संबंधित समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों को रद्दी घोषित कर नष्ट कर दिए जायेंगे।

3.23 न्यायिक क्षेत्राधिकार :–

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

–––0–––

प्रारूप–1
(देखें नियम 3.16)

प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन
(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर..................................
आवेदक का नाम......................................

स्थान ....
दिनांक ....

<u>प्रारूप–2</u>
(देखें नियम 3.17)

<u>आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन</u>

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रद र्ित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

स.क्र.	उत्तर क्रमांक	आदर्ष कुंजी में प्रद र्ित उत्तर	अभ्यार्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर..................................

दिनांक ....

प्रारूप–3

मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसेः–बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटाग्राफ संलग्न करे

1. आवेदक का नाम :– ....
2. पिता का नाम :– ....
3. माता का नाम :– ....
4. लिंग (पुरूष / महिला) :– ....
5. जन्मतिथि :– ....
6. आदिम जनजाति का नाम :– ....
7. वर्ग (विकलांग / भूतपूर्व सैनिक) :– ....
8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :– ....
9. कार्यअनुभव का विवरण :– ....
10. विशेष / अन्य विवरण :– ....
11. पदवार विभागो का विकल्प(नियम पुस्तिका की कण्डिका 1.2 अनुसार):–

स.क्र.	पदनाम	विभाग का नाम
1.	सहायक प्रोग्रामर	1.
		2.
2.	आई.टी. ऑपरेटर	1.
		2.
		3.
3.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1.
		2.
		3.
		4.
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1.

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :–.....................................

दिनांक :– ....

निवास का पता :– ....

....

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रः–

1. कक्षा दसवी की अंकसूची
2. कक्षा बारहवी की अंकसूची
3. नियम पुस्तिका की कण्डिका 2.2 में उल्लेखित पदवार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता सें संबंधित अंकसूची / प्रमाण पत्र
4. मध्यप्रदेश का मूलनिवासी प्रमाण पत्र
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
7. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक होतो)
8. भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक होतो)

सहमति प्रमाण–पत्र

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा सहायक प्रोग्रामर, आई.टी. ऑपरेटर, डाटाएन्ट्री ऑपरेटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा – 2013 के लिए तैयार की गई नियमपुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियम व जानकारी की पुष्टि व सहमति प्रदान की जाती है तथा अध्याय–1, 2 एवं 3 में दी गई समस्त जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा। तैयार नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तद्नुसार यह सहमति प्रमाण–पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

भोपाल, दिनांक :

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम :–...
पदनाम :–..
सील :–..

———————————————————————————————————————